

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत गोमती एन्क्लेव, एवं सरयू एन्क्लेव अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड तथा कैलाश एन्क्लेव वृन्दावन योजना रायबरेली रोड, लखनऊ में

मान्यता प्राप्त पत्रकारों/मीडिया फोटोग्राफर हेतु फ्लैट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर



पंजीकरण प्रारम्भ
दिनांक 15.09.2016 से
14.10.2016 तक

सरयू एन्क्लेव के फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैटों का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण घनराशि (5 प्रतिशत रु.)	चगन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय घनराशि (रु.)	अवशेष घनराशि बिना ब्याज 11 तिमाही किश्तों में (रु.)
1.	1 BHK Type-A	100	13.00	65,000/-	1,30,000/-	1,00,455/- प्रति किश्त

गोमती एन्क्लेव के फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैटों का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण घनराशि (5 प्रतिशत रु.)	चगन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय घनराशि (रु.)	अवशेष घनराशि बिना ब्याज 11 तिमाही किश्तों में (रु.)
1.	2 BHK	100	24.50	1,22,500/-	2,45,000/-	1,89,320/- प्रति किश्त

कैलाश एन्क्लेव के फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैटों का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण घनराशि (5 प्रतिशत रु.)	चगन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय घनराशि (रु.)	अवशेष घनराशि बिना ब्याज 9 तिमाही किश्तों में (रु.)
1.	3 BHK	100	38.80	1,95,000/-	7,60,000/-	3,25,000/- प्रति किश्त

मुख्य आकर्षण

- आकर्षक लैण्ड स्केप, पार्क एवं हरित क्षेत्र वृहद आवासीय परिसर • भूकम्परोधी निर्माण • विश्व प्रसिद्ध पी.जी.आई. के सम्मुख, मात्र 4.50 किमी. की दूरी पर • 45 मीटर एवं 18 मीटर चौड़ी सड़कों से घिरा हुआ आवासीय परिसर • सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान • सामान्य सेवाओं हेतु पावर बैंकअप का प्राविधान • आवासीय परिसर में लिफ्ट, फायर सेफ्टी, आकर्षक कम्प्यूनिटी सेन्टर एवं व्यवसायिक सुविधाओं का प्राविधान।

योजनाओं हेतु पंजीकरण के लिए अधिकृत बैंक

आफ लाईन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक

- सेण्ट्रल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।
- बैंक आफ बड़ौदा, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना लखनऊ।

आन लाईन पंजीकरण हेतु

परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर सूचना उपलब्ध है

पंजीकरण पुस्तिका निर्दिष्ट बैंक तथा प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से रु. 300/- नगद/डीडी/पेआर्डर देकर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी। डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने पर रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा। पंजीकरण फार्म केवल निर्दिष्ट बैंकों में ही जमा किये जा सकेंगे।

पात्रता हेतु शर्तें • यह सुविधा ऐसे पूर्णकालिक पत्रकारों को अनुमन्य होगी जो समाचार पत्र/एजेन्सी/निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संलग्न हैं व पंजीकृत हैं। • पत्रकारों की परिभाषा में श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट, 1955 में वर्णित है, आयेंगे। • यदि कोई पत्रकार पूर्व में पुरानी सबसीडी/अनुदान योजना के अन्तर्गत मकान या प्लॉट का लाभ प्राप्त कर चुका हो या प्राप्त कर बेच चुका हो तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा / आच्छादित नहीं होगा। • आवंटन से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा लगायी गयी सामान्य शर्तें पात्रता के लिये आवश्यक होंगी। • सम्बन्धित पत्रकार के नाम ही फ्लैट आवंटित किया जायेगा। आवंटित पत्रकार उक्त फ्लैट को 30 वर्ष तक न तो बेच सकेगा और न ही किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा।

आवास आयुक्त